न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 12/2023 (GCMS : 2020/ 33) अनवान 1. जगदीश कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **2. विनित कुमार पुत्र प्रेमसुख** जाति जाट निवासी मटीली सारनान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **3. प्रेमसुख** पुत्र लेखराज जाति जाट निवासी मटीली सारनान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलकरन सिंह एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबडा उपस्थित है। दोनों पक्षों को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद–पत्र धारा 88, 53, 188 आरटीए का अप्रार्थी संख्या 1–उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में पेश किया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2022 को बरूए राजीनामा तस्दीक कर वाद–पत्र डिक्री किया गया, जिसकी पालना राजस्व रिकॉर्ड में पूर्ण रूप से हो चुकी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा बिना वजह ही प्रार्थीगण को हैरान व पेरशान करने की गर्ज से उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी का दिनांक 10.01.2023 को पेश कर दिनांक 10.11.2022 को जारी की गयी **डिक्री व आदेश में संशोधन करने का निवेदन किया है।** फाईनल डिक्री न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर पारित कर दी जाती है तो उस डिक्री व आदेश के विरूद्ध कोई भी अपीलीय न्यायालय में अपील नहीं हो सकती और न ही सम्बन्धित न्यायालय में कोई संशोधन ही किया जा सकता हैं, क्योंकि जिस रकबे को लेकर अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा संशोधन चाहा गया है वह रकबा राजीनामे के अन्दर अंकित है। इसलिए उस राजीनामे से अप्रार्थी कानूनी रूप से मुकर नहीं सकते।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 क्षेत्र में काफी राजनैतिक रसूख रखते है, जिनका क्षेत्रीय विधायक के साथ काफी मेल मिलाप है

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

और क्षेत्रीय विधायक का अप्रार्थी संख्या 1 पर काफी राजनैतिक दबाव होने के कारण प्रार्थी को पूर्ण आशंका है कि अप्रार्थी संख्या 1 राजनैतिक दबाव में आकर कानून के विरूद्ध कोई आदेश पारित कर सकता है जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बढने की पूरी पूरी आशंका है और प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को 10 जनवरी 2023 को कचहरी परिसर सादुलशहर में अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर से निकलते हुए देखा है, जिससे प्रार्थी को पूरा विश्वास हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के साथ साजबाज किये हुए है जिससे प्रार्थी को इन्साफ मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है, इसलिए उनका मामला अन्यत्र समक्ष न्यायालय में मुंतकिल करना उचित होगा।

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मद संख्या 01 प्रार्थना पत्र में अंकित इस संशोधन के स्वीकार है कि चक 17—18 केआरडब्ल्यू की कृषि भूमि का प्रस्तुत किया गया था एवं राजीनामा भी बाद में विवादित कृषि भूमि के संदर्भ में किया जा सकता था लेकिन वाद में बिना विवादित भूमि चक 2 एसडीएस को जोड़कर राजीनामा से वाद आज्ञाप्त करवाया गया, जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थीगण के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपनी विधिसम्मत कार्यवाही डिक्री में संशोधन करने बाबत प्रस्तुत की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत बयानी होने के कारण स्वीकार नहीं है, विधिसम्मत् कार्यवाही अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गयी है अतः माननीय न्यायालय का निवेदन है कि कार्यवाही को झूठा मानती है अथवा विधि विरुद्ध किन ऐसे तथ्य, मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का आधार नहीं हो सकते है इसलिए प्रार्थी की प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि मद संख्या 3 में अंकित तथ्य कानूनी परिधि से बाहर अंकित किये होने के स्वीकार नहीं है ना ही ऐसे तथ्य मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का आधार हो सकते है। मद संख्या 4 में अंकित तथ्य गलत बयानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैनें, दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया और उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 238/2021 अनुवानी जगदीश कुमार बनाम विनित कुमार वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर पर क्षेत्रीय विधायक का दबाव है, इसलिए उनका प्रकरण अन्यक्ष सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाये। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। विधायक के दबाव देने सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:-

> **Transfer of case** : Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए"** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर